

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4222
19 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र क्षेत्र का संवर्धन और विकास

4222. श्री अनूप संजय धोत्रे:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पीएम मित्र पार्क, पीएलआई योजना, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम), समर्थ, एटीयूएफएस, रेशम समग्र-2, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम सहित वस्त्र क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए कार्यान्वित प्रमुख योजनाओं का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ख) इन पहलों के अंतर्गत योजना-वार कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई, कितना निवेश आकर्षित किया गया और कितना रोजगार सृजित किया गया या अनुमानित है;
- (ग) वस्त्र उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, बाजार पहुंच पहल योजना, आरओएससीटीएल और भारत टेक्स 2024 जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के अंतर्गत सहायता सहित सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (घ) इन योजनाओं के अंतर्गत अब तक भारतीय वस्त्र उद्योग के क्षमता निर्माण, आधुनिकीकरण, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात प्रदर्शन के संदर्भ में क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिता)

(क): भारत सरकार वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं/पहलों को क्रियान्वित कर रही है। प्रमुख योजनाओं/पहलों में पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं अपैरल (पीएम मित्र) पार्क योजना, जिसका उद्देश्य एक आधुनिक, एकीकृत बड़े पैमाने पर, विश्व स्तरीय औद्योगिक इकोसिस्टम बनाना है, जो निवेश आकर्षित करने और रोजगार को बढ़ावा देने में मदद करेगा; बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए एमएमएफ फैब्रिक, एमएमएफ अपैरल और तकनीकी वस्त्रों पर केंद्रित उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना; अनुसंधान नवाचार और विकास, संवर्धन और बाजार विकास, कौशल और निर्यात संवर्धन पर केंद्रित राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन; मांग आधारित, रोजगार उन्मुख, कौशल कार्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य से वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए समर्थ- योजना; रेशम उत्पादन मूल्य शृंखला के व्यापक विकास के लिए सिल्क समग्र-2; हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों आदि को संपूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) शामिल हैं।

(ख): वस्त्र मंत्रालय के संबंध में केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए कुल आवंटन 4,659.12 करोड़ रुपये (बजट अनुमान 2025-26) है। योजनावार निधि आवंटन का विवरण अनुबंध में दिया गया है। वस्त्र उद्योग देश में रोजगार के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है, जो लगभग 45 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है।

(ग) और (घ): सरकार शून्य दर वाले निर्यात के सिद्धांत को अपनाकर प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए अपैरल/गारमेंट और मेड-अप्स के लिए राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों में छूट (आरओएससीटीएल) योजना लागू कर रही है। इसके अतिरिक्त, आरओएससीटीएल योजना के अंतर्गत शामिल न किए गए वस्त्र उत्पादों को अन्य उत्पादों के साथ निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट (आरओडीटीईपी) के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि के आयोजन और उनमें भागीदारी के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा कार्यान्वित बाजार पहुंच पहल योजना के अंतर्गत विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों और व्यापार निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मंत्रालय ने भारतीय वस्त्र मूल्य शृंखला की मजबूती को प्रदर्शित करने, वस्त्र एवं फैशन उद्योग में नवीनतम प्रगति/नवाचारों पर प्रकाश डालने और वस्त्र क्षेत्र में सोर्सिंग और निवेश के लिए भारत को सबसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने हेतु एक वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम, अर्थात् भारत टेक्स 2025 के आयोजन में निर्यात संवर्धन परिषदों/संघों को सहयोग प्रदान किया है।

योजनाओं के लिए योजना-वार निधि आवंटन का विवरण

(करोड़ रुपए में)

| क्र.सं. | योजनाएं | ब.प्रा. 2025-26 |
|----------------------------|---|-----------------|
| 1 | एटीयूएफएस | 635.00 |
| 2 | कपास निगम | 0.01 |
| 3 | राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम | 200.00 |
| 4 | कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना | 190.99 |
| 5 | हथकरघा संरक्षण योजना एवं हथकरघा (उत्पादन हेतु वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 का कार्यान्वयन | 7.00 |
| 6 | राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम | 200.00 |
| 7 | हस्तशिल्प मेगा क्लस्टर | 60.00 |
| 8 | एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम | 18.28 |
| 9 | जूट टेक्स्टाइल्स का विकास (एनजेबी) | 90.00 |
| 10 | भारतीय जूट निगम सब्सिडी | 38.00 |
| 11 | वस्त्र क्लस्टर विकास योजनाएँ | 100.00 |
| 12 | एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना | 15.00 |
| 13 | उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) | 1,148.00 |
| 14 | समर्थ | 330.00 |
| 15 | अनुसंधान एवं विकास | 0.00 |
| 16 | राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) | 370.00 |
| 17 | पीएम मित्र | 300.00 |
| | पीएम मित्र (कैपिटल) | 0.00 |
| 18 | केंद्रीय रेशम बोर्ड (रेशम विकास हेतु अनुदान) | 956.84 |
| कुल केंद्रीय क्षेत्र योजना | | 4,659.12 |